

क्रमांक : F-91(23)/SIHF/Proc.- B/2022-23/ 7831

Date : 7/08/2023

M/s BEST COMPUTERS,  
225, RAJ PLAZA, RAJPUR ROAD,  
DEHRADUN, UTTARAKHAND

विषय : संस्थान में सीसी टी.वी. कैमरे लगाए जाने हेतु कार्यादेश।  
सन्दर्भ : आपका पत्र दिनांक 04.08.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि संस्थान में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे मय सामग्री लगाए जाने हेतु आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 02.08.2023 की दरों के अनुरूप आपकी फर्म को निम्नानुसार कार्यादेश प्रदान किया जाता है :-

क्र.सं.	सामग्री/कार्य का विवरण	कंपनी (Make)	वारंटी/गारंटी	अनुमानित मात्रा	कुल राशि मय जीएसटी
1.	IP Dome SMP Colour with Audio	Digibite	2 वर्ष	15	33000.00
2	IP Buliet SMP Colour With Audio	Digibite	2 वर्ष	10	23000.00
3	NVR 32 Channel (2 HDD Support)	C.P. PLUS (4K)	2 वर्ष	1	16000.00
4	HDD 4TB	Consistent (Servalance)	2 वर्ष	2	13000.00
5	POE Switch 8 Port. UP link Giga	Security	2 वर्ष	5	13500.00
6	CCTV camera box (Junction Box)	Security	2 वर्ष	25	1250.00
7	RJ45 Connector	D-Link	2 वर्ष	100	500.00
8	6 U Rack	Security	2 वर्ष	1	2500.00
9	2 U Box Rack	Security	2 वर्ष	5	4000.00
10	CAT 5 305 Mtr.	Security	2 वर्ष	4	26000.00
11	CAT 6 305 Mtr. (Armoured)	Security	2 वर्ष	1	7500.00
12	Fitting Items (Conduite pipes, GI Wire for Outside fitting, Tape, Shadels etc.)	Jindal		-	7500.00
13	Installation Charges			-	7500.00
	कुल योग				155250.00

नियम व शर्त :-

1. फर्म के पैन कार्ड एवं GST रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा।
2. भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल राशि में से नियमानुसार TDS कटौती की जावेगी।
3. आपके द्वारा कोटेशन पर दी गई सामग्री के वारंटी हेतु एक 50/-रुपये का शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापित करवाए जाने उपरांत संस्थान में जमा करवाया जाना होगा, जिसके अनुसार वारंटी/गारंटी अवधि तक सामग्री की समस्त जिम्मेदारी आपकी फर्म की होगी।
4. सामग्री संस्थान में पहुंचाने व इन्स्टालेशन करवाए जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी फर्म की होगी।
5. पार्ट्स/सामग्री उच्च गुणवत्ता (ISI Mark) के लगाया जाना एवं पुराने/खराब पार्ट्स यदि कोई हो तो संस्थान की स्टोर शाखा में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
6. बिलो का भुगतान बिल प्रस्तुत करने एवं कार्य संतोषप्रद पाए जाने के पश्चात ही किया जाएगा।
7. कार्यादेश दिये जाने के 10 दिवस में कार्य पूर्ण कर देना होगा।

(डॉ. ओ.पी. थाकन)  
निदेशक

क्रमांक : F-91(23)/SIHF/Proc.- B/2022-23/7832-33

Date : 7/08/2023

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है -

1. श्री हेमन्त कुमार यादव, हॉस्टल प्रभारी-सीफू।
2. श्री विकास भारद्वाज/मोहित धोकरिया, आईटी शाखा-सीफू को निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण कार्य अपनी देख-रेख में पूर्ण जिम्मेदारी से करवाया जाकर बिल का प्रमाणीकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. ओ.पी. थाकन)  
निदेशक